कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccfkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.150/2020/ 1930 कांकेर, दिनांक/27/7/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषयः– **Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Chhotedonager Iron Ore Mines M/s Shri Bajrang Power & Ispat Ltd. have been granted with Mining lease for Iron ore over an Area 66.02 ha.-regarding. Online Registration No.FP/CG/MIN/11479/2015**

संदर्भः– 1. आपका पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–230/1405 दिनांक 16.07.2020
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.150/2020/1631 दिनांक 14.07.2020
3. वनमंडलाधिकारी नारायणपुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./3192 दिनांक 25.07.2020

विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि आवेदनकर्ता मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा नारायणपुर वनमंडल के छोटेडोंगर परिक्षेत्र के ग्राम छोटेडोंगर में लौह अयस्क उत्खनन कार्य हेतु प्रस्तााावित (माईनिग एरिया 57.000 हे एवं पहुँच मार्ग 9.020 हे.) कुल रकबा 66.020 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव आवेदक विभाग से प्राप्त कर प्रस्ताव भारत सरकार के वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए कार्यालयीन संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित किये गये थे, जिसमें आपके संदर्भित पत्र (अ.क्र.1) द्वारा ऑनलाईन 9 एवं ऑफलाईन 3 बिन्दुओं पर पाई गई कमियों की पूर्ति कर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके परिपालन में वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल ने अपने संदर्भित पत्र (अ.क्र.3) द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

	उठाई गई आपत्ति बिन्दु	विवरण
I ऑनलाईन कमियॉ		
1	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी कॉलम में– पहुँच मार्ग हेतु तीन विकल्पों को अलग–अलग रंगो में नक्शे में दिखाये। प्रमाणित करे कि तीनों विकल्पों वायेबल है। प्रमाणित करें कि तीनों में से जो एक विकल्प आपके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उसमें सबसे कम वन क्षेत्र व्यपवर्तित होगा। अगर आपके द्वारा प्रस्तावित विकल्प में सबसे कम वन क्षेत्र व्यपवर्तित नहीं हो पाया ता रहा है तो यह प्रमाणित करें कि आपके द्वारा प्रस्तावित विकल्प ही एक मात्र विकल्प है तथा इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। जानकारी अपलोड करें।	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी कॉलम में– पहुँच मार्ग हेतु तीनों विकल्पों को नक्शों में अलग–अलग रंगो से अंकित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पहुँच मार्ग हेतु चयन की गई भूमि रकबा 9.020 हे. क्षेत्र में अन्य विकल्प के तुलना में रकबा एवं वृक्ष की संख्या कम है के संबंध में वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र मय मानचित्र के साथ संलग्न है।
2	Form A Part-II के कॉलम नं. 13 (v) (Copy of NOC from competent Authority:) में अपलोड वनमंडलाधिकारी का पत्र क्र./4532 दिनांक 30.08.2019 है।	Form A Part-II के कॉलम नं. 13 (v) (Copy of NOC from competent Authority:) में अपलोड क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निजी भूमि

उठाई गई आपत्ति बिन्दु	विवरण
सर्व प्रथम पत्र का विषय एवं पत्र में लिखे विवरण में मैंच नहीं हो रहा है। विवरण में– खनन कार्य –57.00 हे. के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि चयन कर क्रय हेतु अनुबंध किया गया है एवं खरीदे गये भूमि का खसरावार विवरण पत्र में है। जॉच करने पर पाया गया है कि जो खसरा विवरण अपलोड किया गया है, उसका मिलान अगर खसरावार किया जाता है तो :– – **<u>पैंच नं. 1 में</u>** अपलोड कुल 12 खसरों की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रानुसार 16.511 हे. होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल 24.813 हे. अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल.का क्षेत्रफल निकालने पर 24.496 होता हे. है। – **<u>पैंच नं. 2 में</u>** अपलोड कुल 1 खसरे की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रानुसार 2.569 हे. होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल 1.751 हे. अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल.का क्षेत्रफल निकालने पर 3.705 हे. होता है। अगर पैंच –1.751 हे. ही लिया गया है तो के.एम.एल. भी उत्ना होना चाहिए। – **<u>पैंच नं. 3 में</u>** अपलोड कुल 13 खसरों की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रानुसार 10.836 हे. होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल 12.621 हे. अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल.का क्षेत्रफल निकालने पर 12.528 हे. होता है। – **<u>पैंच नं. 4 में</u>** अपलोड कुल 19 खसरों की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रानुसार 28.525 हे. होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल 26.835 हे. अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल.का क्षेत्रफल निकालने पर 26.950 हे. होता है। Form A Part-II के कॉलम नं. 13. Details of Compensatory afforestation scheme में चारों पैंचों की जानकारी खसरावार, क्षेत्रफल सुधार कर Upload .kml के Attribute में विवरण (जैसे RF/ PF along with compartment no. and area in ha./Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) चयन किए गए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण सहित अपलोड किया जावें।	चयन कर क्रय हेतु अनुबंध किये गये क्षेत्र के संबंध में पाएँ गये त्रुटियों का सुधार कर के.एम.एल.फाईल सहित पुनः अपलोड किया गया है। – **<u>पैंच नं. 1 में</u>** अपलोड किये गये कुल 12 खसरों एवं हार्ड कापी के अनुसार रकबा में भिन्नता थी, वास्तविक में 12 खसरों के स्थान पर 17 खसरा का कुल क्षेत्रफल 24.813 हे. होना था तदानुसार के.एम.एल.फाईल ऑनलाईन अपलोड किया गया है। – **<u>पैंच नं. 2 में</u>** अपलोड किये गये 1 खसरा जिसका कुल रकबा 2.569 हे. है, जिसमें से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 1.751 हे. को चयन किया गया है, जिसका के.एम.एल.फाईल ऑनलाईन अपलोड किया गया है। – **<u>पैंच नं. 3 में</u>** अपलोड किये गये कुल 13 खसरों एवं हार्ड कापी के अनुसार रकबा में भिन्नता थी, जबकि 13 खसरों के स्थान पर 15 खसरा का कुल क्षेत्रफल 12.621 हे. होना था तदानुसार के.एम.एल.फाईल ऑनलाईन अपलोड किया गया है। – **<u>पैंच नं. 4 में</u>** अपलोड किये गये कुल 19 खसरों में से खसरा क्रमांक 529 के कुल रकबा 2.500 हे. में से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 0.809 हे. का चयन किया गया है। जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल 26.835 हे. है। तदानुसार के.एम.एल.फाईल ऑनलाईन अपलोड किया गया है। **<u>नोट</u>**– श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा लौह अयस्क खनन हेतु रकबा 57.00 हे. तथा लौह अयस्क खदान तक पहुँच मार्ग हेतु 9.020 हे. इस प्रकार कुल रकबा 66.020 हे. क्षेत्र गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उनके द्वारा उपयोग किया जायेंगा, जिसके विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 66.020 हे. स्वामित्व की निजी भूमि का चयन किया गया है।

	उठाई गई आपत्ति बिन्दु	विवरण
3	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी कॉलम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस. सर्वे एवं चयन किए क्षतिपूर्ति क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित अपलोड करें।	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी कॉलम में वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं चयन किए गए क्षतिपूर्ति क्षेत्र के संबंध में वनमंडलाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है।
4	Form A Part-II के कॉलम नं. 13. (iii) एवं (iv) में वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित टोपोशीट एवं जियोंरिफरेंस नक्शा अपलोड करें।	Form A Part-II के कॉलम नं. 13. (iii) एवं (iv) में वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित टोपोशीट एवं जियोंरिफरेंस नक्शा अपलोड किया गया है।
5	Form A Part-II के कॉल्म नं. 13. (ii) में Copy of CA scheme details अस्पष्ट है। राजस्व वन उल्लेख किया गया परन्तु उक्त के समक्ष कक्ष क्रमांक लिखा गया है। उक्त जानकारी सही कर अस्पष्ट एवं स्वच्छ प्रति अपलोड करें।	Form A Part-II के कॉल्म नं. 13. (ii) में Copy of CA scheme details सुधार कर पुनः अपलोड किया गया है।
6	Form A Part-II के कॉल्म नं. 4. (ii) (Species-wise local/ scientific name and girth wise enumeration of trees af FRL) में कुल वृक्षों की संख्या 1091 अपलोड किया गया है, परन्तु वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन में आवेदित क्षेत्र में कुल 22360 वृक्षों का उल्लेख किया गया है, जिसे ऑनलाईन सुधार किया जाना आवश्यक है।	Form A Part-II के कॉल्म नं. 4. (ii) (Species-wise local/ scientific name and girth wise enumeration of trees af FRL) में लौह अयस्क खनिपट्टा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र रकबा 57.00 तथा पहुँच मार्ग 9.020 हे. कुल रकबा 66.020 हे. में स्थित वृक्षों के गणना पत्रक में संशोधन किये गये है, जिसके अनुसार लगभग 21459 वृक्ष सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित है, जिसे ऑनलाईन अपलोड किया जाकर वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन के साथ संलग्न किये गये है।
7	Form A Part-II के कॉलम नं. 15 (Specific recommendation of the DFO/CCF/ Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason) में मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र पार्ट–3 अपलोड किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कांकेर द्वारा भाग–3 भरा गया है, परन्तु भाग–3 के प्रथम बिन्दु अनुसार किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न नहीं किया गया है। अतः मुख्य वन संरक्षक का भी स्थल निरीक्षण संबंधी टीप संलग्न की जावें तथा अपलोड की जावें।	मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड कर प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।
8	FRA Certificate कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपलोड नहीं है।	FRA Certificate Form-A Part-II के अतिरिक्त जानकारी के कॉलम में अपलोड किया गया है।
9	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित वेजीटेशन मैप फार्म–ए पार्ट–2 के अतिरिक्त जानकारी में अपलोड नहीं किया गया है।	सत्यापित वेजीटेशन मैप Form-A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में अपलोड किया गया है।

	उठाई गई आपत्ति बिन्दु	विवरण
I I ऑफलाईन कमियाँ		
1	चेकलिस्ट क्रमांक (13) काष्ठ बेनिफिट त्रुटिपूर्ण है। नवीन गाईड लाईन 2019 अनुसार तैयार नहीं किया गया है।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नवीन गाईड लाईन 2019 के अनुसार ही चेकलिस्ट क्रमांक 13 काष्ठ बेनिफिट एनालिसिस तैयार की गई है। (छायाप्रति संलग्न है।)
2	चेकलिस्ट क्रमांक (43) तीन विकल्पों में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण '' लागू नहीं है'' का उल्लेख किया गया है जो मान्य योग्य नहीं है। पहुँच मार्ग हेतु तीन विकल्पों का परीक्षण किया जाना नवीन गाईड लाईन के पृष्ठ क्रमांक 25 अनुसार आवश्यक है। अतः तीन विकल्पों में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण मय मानचित्र में दर्शाते हुए प्रस्ताव संलग्न करें तथा तुलना करते हुए औचित्य बतावें कि किस प्रकार आवेदित पहुँच मार्ग ही सर्वोत्तम विकल्प है।	चूकि प्रकरण लौह अयस्क उत्खनन से संबंधित होने के कारण विवरण में ''लागु नही है'' का उल्लेख किया गया है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग हेतु तीन विकल्प को मानचित्र में दर्शाते हुए प्रस्तावित पहुँच मार्ग की औचित्य के संबंध में वनमंडलाधिकारी नारायणपुर का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	पहुँच मार्ग निर्माण उपरांत उक्त मार्ग में शासकीय वाहनों के आने जाने हेतु आवेदक संस्थान को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा आवेदक संस्थान द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा– इस आशय का वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर संलग्न किया जावें।	पहुँच मार्ग निर्माण उपरांत उक्त मार्ग में शासकीय वाहनों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा और न ही शासकीय वाहनो के आने जाने से आवेदक संस्थान को कोई आपत्ति है, के संबंध में वचन पत्र संलग्न है।

अतः प्रकरण के प्रस्ताव में पाई गई कमियों का निराकरण कर चाही गई जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

पेज क्रमांक 1 से .... तक

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.150/2020/ 1931 **कांकेर, दिनांक** 27-7 **/2020**

प्रतिलिपि :–

01. **वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल** को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./3192 दिनांक 25.07.2020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
02. **मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला –गुमा रोड़ उरला ग्रोथ सेन्टर रायपुर** 493221 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर